www.taxmann.com

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102026-277540
CG-DL-E-30102026-277540

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 860] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 30, 2026/कार्तिक 8, 1948
No. 860] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 2026/KARTIKA 8, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2026

आय-कर

सा.का.नि. 961(अ).— केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धाराओं 352(4) [सारणी:क्रम संख्या 8] तथा 354क के साथ पठित धारा 533 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 2026 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (आठवाँ संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

www.taxmann.com

2. आय-कर नियम, 2026 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 189 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"189क. धाराओं 352(4) [सारणी: क्रम संख्या 8] तथा 354क के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन के विलयन हेतु शर्तें.- (1) अधिनियम की धाराओं 352(4) [सारणी: क्रम संख्या 8] तथा 354क के प्रयोजनों के लिए, रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन का किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन, जिसका समान या समरूप उद्देश्य है, के साथ विलयन की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात:-

(क) धारा 332 के अधीन रजिस्ट्रीकृत, रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन, धारा 332 के अधीन अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत, रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन के साथ विलीन नहीं होगा;

(ख) धारा 332 के अधीन अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत, रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन, धारा 332 के अधीन रजिस्ट्रीकृत, रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन के साथ विलीन नहीं होगा;

(ग) विलयन हो रहे रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन के संबंध में, अधिनियम के अधीन किसी पारित आदेश के परिणामस्वरुप कोई भी कर, ब्याज, शास्ति, जुर्माना या कोई अन्य राशि (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् बकाया मांग कहा गया है) संदेय नहीं है, जहां ऐसी कोई बकाया मांग किसी अपीलय प्राधिकरण के समक्ष अपील में नहीं है;

(घ) मामले में, जहां अपील लंबित है, विलयन हो रहे रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन के लिए बकाया मांग उक्त अपील की अंतिम रुप से पूरा होने पर विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन द्वारा संदत्त की जाएगी;

(ड.) विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन के उद्देश्य, उस वित्त वर्ष की समाप्ति से, जिसमें विलयन हुआ था, पांच वर्ष की अवधि के भीतर संशोधित नहीं किए जाएंगे;

(च) विलयन हो रहे रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन की सभी आस्तियां और दायित्व विलयन की तारीख से विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन की आस्तियां और दायित्व हो जाएंगे;

(छ) विलयन के परिणामतया, विलयन हो रहे या विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन की धारा 337 (1) [सारणी : क्रम सं. 2] में यथानिर्दिष्ट किसी संबंधित व्यक्ति को कोई प्रत्यक्ष या अप्रतयक्ष फायदा नहीं होगा;

(ज) विलयन हो रहे रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन की सभी बाध्यताएं निम्नलिखित के साथ-साथ विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन की बाध्यताएं होंगी:-

(i) विलयन हो रहे रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन की आय का अनुप्रयोग धारा 341 के अनुसार विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन द्वारा प्रभावी किया जाएगा;

(ii) विलयन हो रहे रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन की संचित आय का अनुप्रयोग धारा 342 के अनुसार विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन द्वारा प्रभावी किया जाएगा;

(iii) विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन विलयन हो रहे रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन की विनिर्दिष्ट आय के संबंध में धारा 334 के अधीन कर संदाय का दायी होगा;

(iv) विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 340 में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन न हो;

(v) विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन द्वारा निधियों का विनिधान, धारा 350 में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार किया जाएगा; और

www.taxmann.com

(vi) धारा 352 के उपबंधों के अनुसार अतिरिक्त आयकर का संदाय, विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन द्वारा किया जाएगा, जब भी ऐसा दायित्व उद्भूत हो;

(झ) विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन, उस मास की समाप्ति से, जिसमें ऐसा विलयन प्रभावी हुआ था एक मास के भीतर प्ररुप सं. 112क में अधिकारिता प्राप्त प्रधान आयुक्त या आयुक्त को सूचित करेगा;

(ञ) जहां विलयन हुआ है, विलयन हो रहे रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन पर निर्धारण या पुनर्निर्धारण या कोई अन्य कार्यवाही की गई थी या आरंभ की गई थी, विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन पर हुई या आरंभ की गई समझी जाएगी तथा अधिनियम के सभी उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे;

(ट) खंड (ञ) में उल्लिखित मामले से भिन्न मामले में, विलयन की तारीख तक हुए विलयन जिसमें कर वर्ष के संबंध में तथा उस वर्ष के पूर्ववर्ती कर वर्षों के संबंध में निर्धारण या पुनर्निर्धारण या अन्य कोई कार्यवाहियां विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन पर वैसी ही रीति में तथा उसी विस्तार तक होंगी, जैसे कि वह विलयन हो रहे रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन पर हुई होंगी तथा अधिनियम के सभी उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे; और

(ठ) विलयन हो रहे रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन तथा विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन की लेखा बहियां, विलयन की तारीख को धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा संपरीक्षित की जाएंगी ।

(2) उप नियम (1) (i) में निर्दिष्ट प्ररुप संख्या 112क, या तो डिजिटल हस्ताक्षर या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन इलेक्ट्रानिक रुप से प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्तियां –

(i) "इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड" से महानिदेशक आयकर (प्रणालियां) द्वारा विनिर्दिष्ट डाटा संरचना तथा मानक अनुसार प्ररुप प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के इलेक्ट्रानिक सत्यापन के प्रयोजन के लिए सृजित कोड अभिप्रेत है;

(ii) "विलयन हो रहे रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन" से रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन अभिप्रेत है, जो समान या समरुप उद्देश्यों वाले अन्य रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन के साथ विलयन होता है;

(iii) "विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन" से रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन अभिप्रेत है, जिसमें समान या समरुप उद्देश्यों वाला रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन विलयन होता है ।"।

(3) उक्त नियमों के परिशिष्ट (III) में, प्ररुप सं. 112 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररुप अंत:स्थापित किया जाएगा :-

"प्ररुप सं. 112क

[नियम 189क (1) (झ) देखें]"

रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठनों के विलयन हेतु सूचना

भाग क : विलयन हो रहे रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठनों का ब्यौरा			
1.	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	
2.	पता:	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
3.	स्थायी खाता सं. (पैन:)		
4.	ई-मेल आईडी :		
5.	संपर्क सं.:	देश कोड	सं.

www.taxmann.com

theTAXtalk

6.	विलयन की तारीख :		
भाग ख : विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन का ब्यौरा			
7	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	
8	पता:	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
9	स्थायी खाता सं. (पैन:)		
10	ई-मेल आईडी :		
11	संपर्क सं.:	देश कोड	सं.
12	अन्य ब्यौरे पृथक अनुलग्नक के रुप में उपबंधित किए जाएं :	(टिप्पण 3 का निर्देश लें)	

घोषणा

मैं,, (विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन), स्थायी खाता सं. (पैन) के निमित एतद्वारा सूचित करता हूं कि.....(तारीख)को न्यासियों/शासी निकाय/प्रबंधन द्वारा पारित संकल्प के माध्यम द्वारा, (विलयन हो रहे रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन का नाम) का(विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन का नाम) के साथ विलयन विनिश्चित हुआ है । विलयन हो रहे तथा विलीन अस्तित्वों का ब्यौरा उपरोक्त भाग क और भाग ख में उपबंधित हैं । मैं आगे वचनबंध करता हूं कि, -

- विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन के उद्देश्य, वित्त वर्ष जिसमें विलयन हुआ था की समाप्ति से पांच वर्ष की अवधि के भीतर संशोधित नहीं किए जाएंगे;
- विलयन हो रहे रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन की आय के अनुप्रयोग को धारा 341 के अनुसार विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन द्वारा प्रभावी किया जाएगा ;
- विलयन हो रहे रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन की संचित आय के अनुप्रयोग को धारा 342 के अनुसार विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन द्वारा प्रभावी किया जाएगा ;
- अवक्षयण का दावा, जहां विलयन हो रहे रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन द्वारा अनुप्रयोग के रुप में अर्जन की लागत पहले से ही दावा की गई है, विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन द्वारा दावा नहीं की जाएगी;
- विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन, विलयन हो रहे रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन की विनिर्दिष्ट आय के संबंध में धारा 334 के अधीन कर संदाय का दायी होगा ;
- किसी भी व्यक्ति द्वारा विलयन हो रहे रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन को किए गए अभिदाय को, धारा 355(ज)(ii) के प्रयोजनों के लिए विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन के कुल अभिदाय के संगणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा;
- विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 340 में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन न हो, और यहां तक कि विलयन हो रहे रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन द्वारा भी उल्लंघन न हो;
- विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन द्वारा निधियों का विनिधान, धारा 350 में विनिर्दिष्ट पद्धतियों के अनुसार किया जाएगा; और
- धारा 352 के उपबंधों के अनुसार अतिरिक्त आयकर का संदाय, विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन द्वारा किया जाएगा, जब कभी भी ऐसा दायित्व उद्भूत हो ।

स्थान :
तारीख:

हस्ताक्षर:
नाम:
पदनाम :

www.taxmann.com

टिप्पण :

1. नाम के अंतर्गत विलयन हो रहे या विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन का पूर्ण नाम होगा ।

2. पते के अंतर्गत फलैट/दरवाजा/भवन, सड़क/गली / ब्लाक/सैक्टर, क्षेत्र/ स्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश/ विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र तथा पिनकोड होगा ।

3. भाग ख (क्रम सं. 12) के संबंध में, निम्नलिखित ब्यौरे उपाबंधों के रुप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्:-

उपाबंध	विशिष्टियां
क-1	दोनों विलयन हो रहे रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन तथा विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन के न्यास विलेखों की प्रति का उपबंध करें ।
क-2	दोनों विलयन हो रहे रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन तथा विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन को अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण की प्रति उपबंध करें ।
क-3	विलयन के ब्यौरों पर प्रकाश डालने वाले न्यासियों/शासी निकाय/प्रबंधक द्वारा पारित संकल्प की प्रति ।
क-4	रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन की तारीख के साथ साथ वित्तीय वर्ष के तुरंत पूर्ववर्ती कर कर्ष में जिसमें विलयन हुआ था, को दोनों विलयन हो रहे रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन तथा विलीन रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन की संपरीक्षित लेखा बहियां।
क-5	रजिस्ट्रीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन का विलयन करने के लिए कारण।

4. प्ररूप में कुछ सूचना संभाव्य विस्तार तक पहले से भरी होगी।"।

[सं. 139/2026/फा. सं. 370142/32/2026-टीपीएल]

रोहित सिंह, अवर सचिव, टीपीएल-1, सीबीडीटी

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) संख्या सा.का.नि. 198(अ), तारीख 20 मार्च,2026 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि. 901(अ), तारीख 19 अक्टूबर 2026 द्वारा संशोधित हुए थे।

www.taxmann.com

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2026

INCOME-TAX

G.S.R. 961(E).— In exercise of the powers conferred by section 533 read with sections 352(4) [Table: Sl. No. 8] and 354A of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) (the Act), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 2026, namely: —

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Eighth Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 2026 (hereinafter referred to as the said rules), after the rule 189, the following rule shall be inserted, namely: —

"189A. Conditions for the merger of registered non-profit organisation for the purposes of sections 352(4) [Table: Sl. No. 8] and 354A.— (1) For the purposes of sections 352(4) [Table: Sl. No. 8] and 354A of the Act, the conditions for the merger of registered non-profit organisation with any other registered non-profit organisation having same or similar objects shall be the following, namely: —

(a) the registered non-profit organisation registered under section 332 shall not be merged with the registered non-profit organisation provisionally registered under section 332;

(b) the registered non-profit organisation provisionally registered under section 332 shall not be merged with the registered non-profit organisation registered under section 332;

(c) there is no tax, interest, penalty, fine or any other sum (hereinafter referred to as the outstanding demand) payable in consequence of any order passed under the Act in respect of the merging registered non-profit organisation where such outstanding demand is not in appeal before any appellate authority;

(d) in a case where an appeal is pending, the outstanding demand for the merging registered non-profit organisation shall be paid by the merged registered non-profit organisation upon the said appeal attaining finality;

(e) the objects of the merged registered non-profit organisation shall not be amended within a period of five years from the end of the financial year in which the merger takes place;

(f) all the assets and liabilities of the merging registered non-profit organisation shall become the assets and liabilities of the merged registered non-profit organisation from the date of the merger;

(g) the merger shall not result in any direct or indirect benefit to any related person as referred to in section 337(1) [Table: Sl. No. 2] of the merging or the merged registered non-profit organisation;

(h) all the obligations of the merging registered non-profit organisation shall be the obligations of the merged registered non-profit organisation including the following: —

(i) application of the income of the merging registered non-profit organisation shall be given effect to by the merged registered non-profit organisation as per section 341;

(ii) application of the accumulated income of the merging registered non-profit organisation shall be given effect to by the merged registered non-profit organisation as per section 342;

(iii) the merged registered non-profit organisation shall be liable to pay tax under section 334 in respect of the specified income of the merging registered non-profit organisation;

www.taxmann.com

(iv) the merged registered non-profit organisation shall ensure that the conditions mentioned in section 340 are not violated;

(v) investment of the funds by the merged registered non-profit organisation shall be made as per modes specified in section 350; and

(vi) payment of the additional income-tax as per the provisions of section 352 shall be made by the merged registered non-profit organisation whenever such liability arises;

(i) the merged registered non-profit organisation shall intimate the jurisdictional Principal Commissioner or Commissioner in Form No. 112A within one month from the end of the month in which such merger comes into effect;

(j) where there is merger, the assessment or reassessment or any other proceedings, made or initiated on the merging registered non-profit organisation, shall be deemed to have been made or initiated on the merged registered non-profit organisation and all the provisions of the Act shall, so far as may be, apply accordingly;

(k) in a case other than the case mentioned in clause (j), the assessment or reassessment or any other proceedings in respect of the tax year in which the merger took place up to the date of merger and in respect of the tax years preceding that year shall be made on the merged registered non-profit organisation in like manner and to the same extent as it would have been made on the merging registered non-profit organisation, and all the provisions of the Act shall, so far as may be, apply accordingly; and

(l) the merging registered non-profit organisation and the merged registered non-profit organisation shall get the books of accounts audited by an accountant defined in section 515(3)(b) as on the date of merger.

(2) Form No. 112A referred to in sub-rule (1)(i) shall be furnished electronically either under digital signature or electronic verification code.

(3) For the purposes of this rule, the expressions —

(i) "electronic verification code" means a code generated for the purpose of electronic verification of the person furnishing the Form as per the data structure and standards specified by the Director General of Income-tax (Systems);

(ii) "merging registered non-profit organisation" means a registered non-profit organisation which merges with another registered non-profit organisation having same or similar objects;

(iii) "merged registered non-profit organisation" means a registered non-profit organisation in which the registered non-profit organisation having same or similar objects merges into.**"**.

3. In the said rules, in Appendix III, after Form No. 112, the following Form shall be inserted, namely: —

"FORM NO. 112A

[*See* rule 189A(1)(i)]

Intimation for merger of registered non-profit organisations

Part A: Details of the merging registered non-profit organisations			
1.	Name:	*(refer Note 1)*	
2.	Address:	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number (PAN):		
4.	E-mail Id:		
5.	Contact Number:	Country Code	Number
6.	Date of merger:		
Part B: Details of the merged registered non-profit organisation			
7.	Name:	*(refer Note 1)*	
8.	Address:	*(refer Note 2)*	
9.	PAN:		

www.taxmann.com

10	E-mail Id:		
11.	Contact Number:	Country Code	Number
12.	Other details to be provided as separate enclosure:	*(refer Note 3)*	

Declaration

I, _____ on behalf of _____ (merged registered non-profit organisation) having Permanent Account Number (PAN) hereby intimate that by way of a resolution passed by the trustees/governing body/management, on _____ (dd/mm/yyyy) the merger of the _____ (name of the merging registered non-profit organisation) with _____ (name of the merged registered non-profit organisation) has been decided upon. The details of the merging and merged entities are provided in Part A and Part B above.

I further undertake that, —

- the objects of the merged registered non-profit organisation shall not be amended within a period of five years from the end of the financial year in which merger takes place;
- application of the income of the merging registered non-profit organisation shall be given effect to by the merged registered non-profit organisation as per section 341;
- application of the accumulated income of the merging registered non-profit organisation shall be given effect to by the merged registered non-profit organisation as per section 342;
- the claim of depreciation where cost of acquisition has already been claimed as application by the merging registered non-profit organisation shall not be claimed by the merged registered non-profit organisation;
- the merged registered non-profit organisation shall be liable to pay tax under section 334 in respect of the specified income of the merging registered non-profit organisation;
- contribution made by any person to the merging registered non-profit organisation shall be taken into account for calculating the total contribution to the merged registered non-profit organisation for the purposes of section 355(h)(ii);
- the merged registered non-profit organisation shall ensure that the conditions mentioned in section 340 are not violated, not even by the merging registered non-profit organisations;
- investment of the funds by the merged registered non-profit organisation shall be made as per modes specified in section 350; and
- payment of the additional income-tax as per the provisions of section 352 shall be made by the merged registered non-profit organisation whenever such liability arises.

Place: Signature:

Date: Name:

Designation:

www.taxmann.com

Notes:

1. The name shall include full name of the merging or merged registered non-profit organisations.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country/specified territory and pin code.
3. With respect to Part B (Sl. No. 12), following details shall be provided as annexures, namely: —

Annexure	Particulars
A-1	Provide the copy of the trust deeds of both the merging registered non-profit organisation and merged registered non-profit organisation.
A-2	Provide the copy of the registration granted of both the merging registered non-profit organisation and merged registered non-profit organisation.
A-3	A copy of the resolution passed by the trustees/governing body/management highlighting the details of the merger.
A-4	Audited books of accounts of both the merging registered non-profit organisation and merged registered non-profit organisation as on the date of merger as well as for the financial year immediately preceding the tax year in which merger has taken place.
A-5	Reasons for undertaking merger of the registered non-profit organisation.

4. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.**”.**

[No. 139/2026/ F. No. 370142/32/2026-TPL]

ROHIT SINGH, Under Sec. TPL-I, CBDT.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 198(E), dated the 20th March, 2026 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 901(E), dated the 19th October, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.